

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2013/00030</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p><u>29/1/16</u></p>	<p>वकुण्डी उपस्थित। अग्रणी सल्ला 1, 2 के वकालतनामा व पत्रावक उसूल करने हेतु पूर्व में 8 अवसर दिये जा चुके हैं व अग्रणी सल्ला 3 के पत्रावक हेतु पूर्व में 15 अवसर दिये जा चुके हैं। जवब आदेश रूप से पेश कराये पत्रावली पत्रावक हेतु दिनांक 4/3/16 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी मसुदा (अजमेर)</p>
<p><u>4/3/16</u></p>	<p>वकुण्डी उपस्थित। समग्र चर्चा हो। न्यायहित में एक दिनांक दिया जा रहा है। अग्रणी 1, 2 के वकालतनामा व पत्रावक व अग्रणी 3 के पत्रावक हेतु पत्रावली दिनांक 13/3/16 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी मसुदा (अजमेर)</p>
<p><u>13/3/16</u></p>	<p>25/6/16 पत्रावली आज लोक न्यायालय मय मालवे हाइकोर्ट पचासह मुख्यालय मय पर पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वकील प्रतिवादीजग एव प्रतिवादी पक्षकार उपलब्ध। प्रतिवादी ने प्रतिवादी पक्षकार सल्ला 2 व 3 के साथ एक संयुक्त अ-पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकार के मध्य शक्तिनाम ले गया है। कतः वादोत्तर भूमि का वह कोई वाद विवाद शेष नहीं रह गया है। वाद पर कार्रवाई विज्ञे करने हे अदेश उदाह करके। दस्तावेज बचाने नोके की प्रति पेश की। जिसके अनुसार प्रतिवादी श. 2 व 3 ने वादी के विवादित आराजी 1052/1 को विक्रय करना लक्ष्य रखी है। किया गया है। इसी स्थिति में वाद पत्र पर कोई कार्रवाई शेष नहीं है तथा पक्षकार भी विज्ञे करना चाहते हैं। अ-पत्र लीका किया जा रहा है तथा वाद पत्र पर कार्रवाई हो भी जाती है। जिसल फैसल कर लेकर नम्बर के कम ले। वाद दफ्तार दारिखत हो।</p>	<p>please Sir, मेवाड़ उद्योग विकास</p>

वकील अग्रणी उपस्थित/ विपक्षी उपस्थित/
प्रकारण का लोक अदालत में रफ्तार
करने में सक्षम है। अति: प्रकारण
दिनांक 25/6/16 को लोक अदालत के समक्ष
पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
मसुदा (अजमेर)

